116

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प 3(77)नविवि/3/2010पार्ट–VIII जयपुर, दिनांक :– 7 MAY 2018

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त ....

Consultant (TP)
8/5/18

विषय :– विभागीय आदेश दिनांक 22.11.2016 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2016 के द्वारा ''किसी प्रकरण विशेष में जहाँ किसी भी स्थिति में (पहुँच मार्ग अनुमोदित योजनाओं में से होने पर) 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध होना सम्भव नहीं हो तो ऐसे प्रकरणों के सम्बन्धित नगरीय निकाय अपने स्तर पर अनुमति दे सकेगा, परन्तु ऐसी पहुँच मार्ग की चौड़ाई 30 फीट से कम नहीं होगी।'' का प्रावधान किया गया है।

यदि पहुँचमार्ग गैर अनुमोदित योजना से प्राप्त होता है जो 30 फीट से कम है तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित प्राधिकरण/न्यास द्वारा क्षेत्र का सेक्टर प्लान तैयार किया जाकर सडक का मार्गाधिकार न्यूनतम 40 फीट अथवा अधिक निर्धारित किया जा सकता है। प्राधिकरण/न्यास क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रो के सेक्टर प्लान तैयार किये जाकर सडक का मार्गाधिकार निर्धारित किया जावें ताकि समस्या का समाधान हो सके।

भवदीय,

3/5/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि :– श्री महिपत सिंह हाडा, जिला अध्यक्ष, प्रतापगढ हवेली, लाईन पुलिस रोड, बहादुर सिंह सर्कल, बूंदी–323001 को उनके पत्र दिनांक 15.02.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

ACTP(CMP/BPC) BPC-LP/PS

3/5/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

STP
10/5/18

9/5/18